(वाद संख्या–3888/17)

09.01.2020

परिवादी, शंभू शरण, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कौआकोल, नवादा (सम्प्रति निलंबित) उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए परिवादी के गिरफ्तारी के समय उसके साथ धावा दल के एक सदस्य द्वारा मार–पीट किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त के संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमीन का दाखिल–खारिज करने के एवज में बीस हजार रुपये रिश्वत लेने से संबंधित एक शिकायत पर श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आठ सदस्यों के धावा दल द्वारा, सभी नियमों का अनुपालन करते हुए परिवादी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया तथा इस क्रम में उनके साथ कोई अमानवीय कार्य नहीं किया गया।

प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि गिरफ्तारी के उपरान्त दिनांक–08.10.2016 को जब परिवादी को माननीय विशेष न्यायाधीश/निगरानी, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो वहां भी उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार किये जाने की कोई शिकायत नहीं की क्योंकि न्यायालय के आदेश फलक में इस तरह की शिकायत का कोई उल्लेख नहीं है। न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में प्रवेश करने पर जेल के गेट रजिस्टर और एडमिशन रजिस्टर में भी उसके शरीर के जख्मों का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जेल अस्पताल में परिवादी के दिनांक–08.10.2016 को भर्त्ती होने तथा तीन दिन बाद जेल अस्पताल से मुक्त होने का उल्लेख है।

सामान्तः जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो न्यायालय द्वारा उससे यातना दिये जाने से संबंधित पूछ–ताछ की जाती है जिसका उल्लेख न्यायिक अभिरक्षा में कारा में भेजते समय न्यायालय के आदेश फलक में भी किया जाता है। प्रसंगाधीन मामले में आदेश फलक पर परिवादी के साथ यातना दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक